

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर  
प्रकरण संख्या 168/2012 (रैफरैन्स-82 एल आर एक्ट)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर जिला भरतपुर।.....प्रार्थी

**बनाम**

भैरोसिंह पुत्र पांच्या जाति कोरी निवासी हिसामडा तहसील वैर। (मृतक)  
सोमोती पत्नी भैरोसिंह जाति कोरी निवासी हिसामडा तहसील वैर। (मृतक)

1. किशनलाल पुत्र भैरोसिंह जाति कोरी निवासी हिसामडा तहसील वैर जिला भरतपुर।
2. कृष्णा पुत्री भैरोसिंह जाति कोरी निवासी हिसामडा तहसील वैर जिला भरतपुर।

**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956  
निरस्त करने आवंटन/नियमन व नामान्तरकरण संख्या 209  
आराजी खसरा नम्बर 630/1 रकबा 2.10 वीघा गै0मु0 नदी  
वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर।

उपस्थित:- 1. पैरोकार सरकार

**दिनांक 8.3.2018**

**निर्णय**

प्रार्थी तहसीलदार वैर (भूमिधारी) द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956 बाबत निरस्त करने आवंटन व नामान्तरकरण 209 आराजी खसरा नम्बर 630/1 रकबा 2.10 वीघा किस्म गैर मुमकिन नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जिला भरतपुर विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया गया है। बाद न्यायिक कार्यवाही नियत दिनांक को वकील अप्रार्थी उपस्थित नहीं। कई बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु न तो अप्रार्थी उपस्थित आये न उनके वकील उपस्थित आये। उपस्थित राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 630/1 रकबा 2.10 वीघा किस्म जमीन गै0मु0 नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जो सार्वजनिक उपयोग की है उक्त रकबा किस्म गैर मुमकिन नदी दर्ज है। सार्वजनिक उपयोग की गैरमुमकिन पोखर/नदी आराजी का प्रचलित कानून के प्रावधानो के विरुद्ध आवंटन /नियमन किया गया है। जबकि ऐसी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत वर्जित भूमि है जिसका आवंटन/नियमन किया जाना विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी को सम्बत 2023 में एक वर्ष के लिये अस्थायी आवंटन किया था बाद में सम्बत 2024 में पुनः एक साल के लिये अस्थायी आवंटन किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से अस्थायी आवंटन के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया है। अस्थायी आवंटन आदेश संलग्न नहीं है किन्तु संलग्न रिकार्ड नकल जमाबन्दी 2022 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2023-2026 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 209 खातेदारी एवं नकल जमाबन्दी सम्बत 2067-70 से यह साबित होता है कि उक्त आवंटन अस्थायी था एवं गैर मुमकिन नदी पर किया गया था जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है एवं उसके आधार पर खोले गये खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 209 भी एक आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। जनहित रिट

याचिका 1536/2003 – अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय राजस्थान के उच्च न्यायालय के दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण मे सार्वजनिक उपयोग की आराजी गैर मुमकिन नदी/पोखर के किये गये आवंटन एव नियमन को विधि विरुद्ध माना गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर गौर किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 679/1 रकबा 2.10 वीघा किस्म गैर मुमकिन नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर जो सार्वजनिक उपयोग की है। संलग्न रिकार्ड नकल जमाबन्दी 2022 एवं नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2023-2026 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 209 खातेदारी एवं नकल जमाबन्दी सम्बत 2067-70 से यह साबित होता कि विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी अंकित है। जिसका आवंटन भी विधि विरुद्ध है तथा उसके आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या 209 भी एक आधारहीन आदेश के तहत खोले जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। वहालत मौजूदा रिकार्ड से उक्त विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन नदी होना स्पष्ट प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी सार्वजनिक भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना वर्जित है। जनहित रिट याचिका 1536/2003 अब्दुल रहमान सरकार मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पारित निर्णय अनुसार सार्वजनिक उपयोग कि भूमि पर किये आवंटन / नियमन को विधि विरुद्ध मानते हुये भूमि को वापिस सार्वजनिक उपयोग मे भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के निर्देश पारित किये गये है। जब आवंटन ही प्रचलित कानून के प्रावधानो के विरुद्ध एवं निरस्त योग्य रहता है तो उसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण गैरखातेदारी/खातेदारी निरस्त योग्य रहते है। इसके अलावा प्रचलित कानून के प्रावधानो के विपरित किये गये इन्द्राज/आवंटन/ नियमन को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। पैरोकार सरकार के कथनो से हम सहमत है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है मूल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अधीन इस निवेदन के साथ प्रेषित की जाती है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 630/1 रकबा 2.10 किस्म गैर मुमकिन नदी वाकै ग्राम गांगरौली तहसील वैर का अप्रार्थी को किया गया अस्थाई आवंटन/नियमन निरस्त किया जावे तथा अस्थाई आवंटन के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 209 शून्य होने के कारण निरस्त किये जावे। तथा विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे पूर्व की भांति गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। असल पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.3.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर